



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 933] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 933] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 24/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1261(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, कोष्ठक और अंक “धारा 9 की उप धारा (1)” के पश्चात, कोष्ठक और अंक “ और धारा 15 की उप-धारा (5)” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I - 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, कूड या रफली ट्रिम्ड”;
-------	------------	---

(iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया”;
-------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6309 से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फ्लार्ड ऐश की ईंटें या फ्लार्ड ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लार्ड ऐश हो; फ्लार्ड ऐश ब्लॉक्स”;

- (vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“स्पष्टीकरण: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा.का.नि. 690 (अ)] में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

- (viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण”;
-------	---------	--

- (ग) अनुसूची II - 6% में,-

- (i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या रफली स्कवयार्ड या आयताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लॉक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हो या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं”;

- (ii) क्रम संख्या 102 और 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	6305 32 00	फलैक्सिबल इंटरमिजेड बुल्क कंटेनर”;
-------	------------	------------------------------------

- (iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “वाकिंग स्टीक्स, सीट स्टीक्स,” को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III – 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रेड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;
-------	------	--

- (ii) क्रम संख्या 142, 143 और 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंग्स और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट्स भी आते हैं)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं”;
---------	------	---

- (v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”, के पश्चात शब्द, “डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20इंच”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, विलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएँ [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो, आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]”;
-------	------	---

(ङ) अनुसूची IV – 14 % में,-

- (i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में “लीथियम ऑयन बैट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथियम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20 इंच” और अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण”;
------	------	---

- (vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि 692(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 24/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the opening paragraph, after the words, brackets and figures “sub-section (1) of section 9”, the words, brackets and figures “and sub-section (5) of section 15”, shall be inserted;

(b) in Schedule I - 2.5%, -

- (i) S. Nos. 23 and 24 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed”;
-------	------------	---

- (iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“198A	4501	Natural cork, raw or simply prepared”;
-------	------	--

- (iv) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;
- (v) against S. No. 225, for the entry in column (3), the entry “Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair” shall be substituted;
- (vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“225A	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks”;

- (vii) against S. No. 234, in the entry in column (3), the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely: -

“*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Central Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 690(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.”;

- (viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons”;
-------	---------	--

(c) in Schedule II - 6%, -

- (i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork ”;

- (ii) S. Nos. 102 and 126 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. No. 171A shall be re-numbered as S.No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“171A	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”;
-------	------------	---

- (iv) against S. No. 173, in the entry in column (3), the words “walking-sticks, seat-sticks,” shall be omitted;
- (v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(d) in Schedule III - 9%, -

- (i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber”;
-------	------	--

- (ii) S. Nos. 142, 143 and 144 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (iii) against S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank”;
---------	------	--

- (v) against S. No. 383, in the entry in column (3), after the words “television cameras”, the words, “digital cameras and video camera recorders”, shall be inserted;
- (vi) against S. No. 383C, in the entry in column (3), for the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 384, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;
- (viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.]”;
-------	------	---

(e) in Schedule IV - 14%, -

- (i) S. No. 47 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S. No. 135 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 139, in the entry in column (3), after the words “other than Lithium-ion battery”, the words “and other Lithium-ion accumulators including Lithium-ion power banks” shall be inserted;
- (iv) S. No. 151 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) against S. No. 154, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches” and the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall respectively be substituted;
- (vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711”;
------	------	---

- (vii) S. No. 215 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 18/2018-Central Tax (Rate), dated the 26th July 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 692(E), dated the 26th July 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 25/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1262(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 674 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हों (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वाटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

- (ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

- (iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो”।
------	---------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि 693 (अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 25/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

- (ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	---------------	--

- (iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“153	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union Territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause”.
------	----------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 19/2018 - Central Tax(Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 693(E), dated the 26th July 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 26/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1263(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा-संदर्भित "किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात" की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे "प्राप्तकर्ता" से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:-

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और 'इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स' की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।
- (iii) जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले केन्द्रीय कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

"स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए :

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813 (अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I, फा. सं.01/94/180/333/एम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत) प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट शीर्षक से है।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 26/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1263(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, to a registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the central tax leviable thereon, under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) alongwith the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency;
- (iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of central tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when the said tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.41/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 5th December 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC, dated the 5th December 2017;

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June 2017 published Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub-section (i), *vide*, number G. S. R. 785 (E), dated the 30th June, 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 25/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1264(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्दों, “केंद्रीय सरकार,” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के साथ पठित” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I - 5% में,-

(i) क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, कूड या रफली ट्रिम्ड”;
-------	------------	---

(iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया”;
-------	------	--

(iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “63 [6305 32 00, 6309 से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फ्लाइ ऐश की ईटें या फ्लाइ ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाइ ऐश हो; फ्लाइ ऐश ब्लॉक्स”;

(vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“स्पष्टीकरण: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर की अधिसूचना संख्या 8/2017- एकीकृत कर

(दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा.का.नि. 683 (अ)] में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

(viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण”;
-------	---------	--

(ग) अनुसूची II - 12% में,-

(i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या रफली स्क्वयार्ड या आयताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हों या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं”;

(ii) क्रम संख्या 102 और 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171क के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	6305 32 00	फलैक्सिबल इंटरमिजेड बुल्क कंटेनर”;
-------	------------	------------------------------------

(iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “वाकिंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स,” को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III - 18% में,-

(i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रेड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;
-------	------	--

(ii) क्रम संख्या 142, 143 और 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रैंक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रैंक्स; बियरिंग हाउसिंग्स और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइव्हील्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं”,
---------	------	---

- (v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”, के पश्चात शब्द, “डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20इंच”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, बिलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएँ [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो, आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]”;
-------	------	---

- (ड) अनुसूची IV – 28 % में,-

- (i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में “ लीथियम ऑयन बैट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथियम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20 इंच” और अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण”;
------	------	---

- (vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि. 696(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 25/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1264(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the opening paragraph, after the brackets, words and figures “(13 of 2017)”, the words, brackets and figures “read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)”, shall be inserted;

(b) in Schedule I - 5%, -

- (i) S. Nos. 23 and 24 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed”;
-------	------------	---

- (iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“198A	4501	Natural cork, raw or simply prepared”;
-------	------	--

- (iv) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;
- (v) against S. No. 225, for the entry in column (3), the entry “Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair” shall be substituted;
- (vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“225A	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks”;

- (vii) against S. No. 234, in the entry in column (3), the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely: -

“*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 8/2017-Integrated Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 683(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.”;

- (viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons”;
-------	---------	--

(c) in Schedule II - 12%, -

- (i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork”;

- (ii) S. Nos. 102 and 126 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (iii) S. No. 171A shall be re-numbered as S.No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“171A	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”;
-------	------------	---

- (iv) against S. No. 173, in the entry in column (3), the words “walking-sticks, seat-sticks,” shall be omitted;
 (v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(d) in Schedule III - 18%, -

- (i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber”;
-------	------	--

- (ii) S. Nos. 142, 143 and 144 and the entries relating thereto shall be omitted;
 (iii) against S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;
 (iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank”;
---------	------	--

- (v) against S. No. 383, in the entry in column (3), after the words “television cameras”, the words, “digital cameras and video camera recorders”, shall be inserted;
 (vi) against S. No. 383C, in the entry in column (3), for the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;
 (vii) against S. No. 384, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;
 (viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.]”;
-------	------	---

(e) in Schedule IV - 28%, -

- (i) S. No. 47 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S. No. 135 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 139, in the entry in column (3), after the words “other than Lithium-ion battery”, the words “and other Lithium-ion accumulators including Lithium-ion power banks” shall be inserted;
- (iv) S. No. 151 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) against S. No. 154, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches” and the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall respectively be substituted;
- (vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711”;
------	------	---

- (vii) S. No. 215 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 19/2018-Integrated Tax (Rate), dated the 26th July 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 696(E), dated the 26th July 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 26/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1265(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 667 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हों (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राइन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

- (ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

- (iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मर्दों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो”।
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2018-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि. 697(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 26/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1265(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule,—

- i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

- ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	---------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“153	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause”.
------	-------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by notification No. 20/2018 - Integrated Tax(Rate), dated the 26th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 697(E), dated the 26th July 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 27/2018-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1266(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित “किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात” की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे “प्राप्तकर्ता” से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:-

- ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।
- प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और ‘इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स’ की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।
- जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले एकीकृत कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

“स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:

(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813(अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 फा. सं. 01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत) प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट शीर्षक से है।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 27/2018-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1266(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, to a registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the integrated tax leviable thereon, under section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) along with the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency;
- (iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of integrated tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when the said tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.41/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 5th December 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC-4, dated the 5th December 2017;

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June 2017 published Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section (i), vide, number G.S.R. 785 (E), dated the 30th June, 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 24/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 1267(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्दों, "केंद्रीय सरकार," के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची I - 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या 23 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"123क	2515 11 00	मार्बल और ट्रावरटाईन, कूड या रफली ट्रिम्ड";
-------	------------	---

(iii) क्रम संख्या 198क को अब क्रम संख्या 198कक लिखा जाएगा और इस तरह लिखे गए क्रम संख्या 198कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"198क	4501	प्राकृतिक कार्क, कच्चा या साधारण रूप से तैयार किया गया";
-------	------	--

(iv) क्रम संख्या 224 में, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00, 6309 से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 225 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "फुटवियर जिसका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 225क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"225क	6602 00 00	वाकिंग स्टीक्स, जिसमें सीट स्टीक्स भी आती है
225ख	6815	फ्लाई ऐश की ईंटें या फ्लाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स";

(vii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“स्पष्टीकरण: यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु की किसी आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की जाती है और इसके साथ ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं की भी आपूर्ति होती है तथा उनमें से एक, जिस पर की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [सा.का.नि. 702 (अ)] में उल्लिखित सारणी में क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कर वाली सेवाओं में आती हो तो इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य ऐसी कुल आपूर्ति पर भारित सकल प्रतिफल का 70 प्रतिशत तक माना जाएगा। इस प्रकार भारित सकल प्रतिफल का बाकी 30 प्रतिशत उक्त कर वाली सेवा का मूल्य माना जाएगा।”;

(viii) क्रम संख्या 243क को अब क्रम संख्या 243ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 243ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“243क	8714 20	दिव्यांग व्यक्तियों के कैरेज के भाग और सहायक उपकरण”;
-------	---------	--

(ग) अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा; यथा:-

“101क	4502 00 00	प्राकृतिक कार्क, डिबैकड या रफली स्क्वयार्ड या आयताकार (वर्गाकार समेत) ब्लॉक्स, प्लेट्स, शीट्स या स्ट्रीप्स (जिसमें कार्क या स्टापर के तेज किनारे वाले ब्लैक्स भी आते हैं)
101ख	4503	प्राकृतिक कार्क की वस्तुएं जैसे कार्क और स्टापर्स, शटलकार्क कार्क बॉटम
101ग	4504	पुंजित कार्क (चाहे इसमें जोड़ने वाले पदार्थ लगे हों या नहीं) और पुंजित कार्क की वस्तुएं”;

(ii) क्रम संख्या 102 और 126 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 171क को अब क्रम संख्या 171कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 171कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“171क	6305 32 00	फलैक्सिबल इंटरमिज्ड बुल्क कंटेनर”;
-------	------------	------------------------------------

(iv) क्रम संख्या 173 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “वार्किंग स्टिक्स, सीट स्टिक्स,” को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची III - 9% में,-

(i) क्रम संख्या 121क को अब 121ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 121ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4012	रबर के रिट्रीटेड या प्रयोग में लाए गए न्यूमैटिक टायर्स; सॉलिड या कुशन टायर्स, टायर ट्रेड और टायर फ्लैक्स, रबर के”;
-------	------	--

(ii) क्रम संख्या 142, 143 और 144 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 369क में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “ट्रॉसमिशन शाफ्टस (जिसमें कैम शाफ्टस और क्रेक शाफ्टस भी शामिल हैं) और क्रेक्स; बियरिंग हाउसिंगस और प्लेन शाफ्ट बियरिंग्स; गियर्स और गियरिंग, बॉल या रोलर स्क्रू; गियर बाक्स और अन्य स्पीड चेंजर्स जिसमें टार्क कनवर्टर्स भी आते हैं; फ्लाइंघील्ल्स और पुल्ली, जिसमें पुल्ली बॉलक्स भी आते हैं; क्लचेस और शाफ्ट कपलिंग्स (जिसमें यूनिवर्सल ज्वाइंटस भी आते हैं)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 376कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“376ककक	8507	लीथियम-आयन एकुमुलेटर्स (बैट्री से भिन्न), जिसमें लीथियम-आयन पावर बैंक भी आते हैं”,
---------	------	--

(v) क्रम संख्या 383 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्द “टेलीविजन कैमरे”, के पश्चात शब्द, “डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर”, को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 383ग में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 384 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20इंच”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 440क को अब क्रम संख्या 440ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए 440ख के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

“440क	9504	वीडियो गेम कंसोल्स और मशीनें, फनफेयर की वस्तुएँ, टेबल्स या पार्लर गेम्स, जिसमें पिनटेबल्स, विलियर्ड्स, कैसिनो गेम्स की स्पेशल टेबल्स और ऑटोमैटिक बॉलिंग एलेय उपकरण भी आते हैं, जैसी वस्तुएँ [प्लेयिंग कार्ड्स, गंजिफा कार्ड्स, चैस बोर्ड, कैरम बोर्ड और 9504 90 90 के बोर्ड जैसे कि लूडो, आदि के अन्य बोर्ड गेम्स से भिन्न]”,
-------	------	---

(ड) अनुसूची IV – 14 % में,-

(i) क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 135 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में “लीथियम ऑयन बैट्री”, शब्दों के पश्चात “और अन्य लीथियम-ऑयन इक्यूमूलेटर जिसमें लीथियम-ऑयन पावर बैंक भी आते हैं” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 154 में कॉलम (3) की प्रविष्टि में अंकों और शब्द “20 इंच” और अंकों और शब्द “68 सेंटीमीटर”, के स्थान पर अंकों और शब्द “32 इंच” को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 174 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“174	8714	शीर्ष 8711 में आने वाले वाहनों के हिस्से और सहायक उपकरण”;
------	------	---

(vii) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि. 700 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 24/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 1267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

- (a) in the opening paragraph, after the brackets, words and figures “(14 of 2017)”, the words, brackets and figures “read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)”, shall be inserted;

(b) in Schedule I - 2.5% , -

- (i) S. Nos. 23 and 24 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) after S. No. 123 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“123A	2515 11 00	Marble and travertine, crude or roughly trimmed”;
-------	------------	---

- (iii) S. No. 198A shall be re-numbered as S. No. 198AA, and before S. No. 198AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“198A	4501	Natural cork, raw or simply prepared”;
-------	------	--

- (iv) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry “63 [other than 6305 32 00, 6309] shall be substituted;
- (v) against S. No. 225, for the entry in column (3), the entry “Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair” shall be substituted;
- (vi) for S. No. 225A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“225A	6602 00 00	Walking-sticks including seat sticks
225B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks”;

- (vii) against S. No. 234, in the entry in column (3), the following *Explanation* shall be inserted in the end, namely: -

“*Explanation:* If the goods specified in this entry are supplied, by a supplier, along with supplies of other goods and services, one of which being a taxable service specified in the entry at S. No. 38 of the Table mentioned in the notification No. 11/2017-Union Territory Tax (Rate), dated 28th June, 2017 [G.S.R. 702(E)], the value of supply of goods for the purposes of this entry shall be deemed as seventy per cent. of the gross consideration charged for all such supplies, and the remaining thirty per cent. of the gross consideration charged shall be deemed as value of the said taxable service.”;

- (viii) S. No. 243A shall be re-numbered as S. No. 243B, and before S. No. 243B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“243A	8714 20	Parts and accessories of carriage for disabled persons”;
-------	---------	--

(c) in Schedule II - 6%, -

- (i) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“101A	4502 00 00	Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)
101B	4503	Articles of natural cork such as Corks and Stoppers, Shuttlecock cork bottom
101C	4504	Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork”;

- (ii) S. Nos. 102 and 126 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) S. No. 171A shall be re-numbered as S.No. 171AA, and before S. No. 171AA as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“171A	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”;
-------	------------	---

- (iv) against S. No. 173, in the entry in column (3), the words “walking-sticks, seat-sticks,” shall be omitted;
- (v) S. No. 177 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(d) in Schedule III - 9%, -

- (i) S. No. 121A shall be re-numbered as S. No. 121B, and before S. No. 121B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4012	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber”;
-------	------	--

- (ii) S. Nos. 142, 143 and 144 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;
- (iv) after S. No. 376AA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“376AAA	8507	Lithium-ion accumulators (other than battery) including lithium-ion power bank”;
---------	------	--

- (v) against S. No. 383, in the entry in column (3), after the words “television cameras”, the words, “digital cameras and video camera recorders”, shall be inserted;
- (vi) against S. No. 383C, in the entry in column (3), for the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 384, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches”, the figures and word “32 inches” shall be substituted;

- (viii) S. No. 440A shall be re-numbered as S. No. 440B and before S. No. 440B as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“440A	9504	Video game consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment [other than playing cards, ganjifa card, chess board, carom board and other board games of 9504 90 90 like ludo, etc.]”;
-------	------	---

(e) in Schedule IV - 14%, -

- (i) S. No. 47 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S. No. 135 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S. No. 139, in the entry in column (3), after the words “other than Lithium-ion battery”, the words “and other Lithium-ion accumulators including Lithium-ion power banks” shall be inserted;
- (iv) S. No. 151 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (v) against S. No. 154, in the entry in column (3), for the figures and word “20 inches” and the figures and letters “68 cm”, the figures and word “32 inches” shall respectively be substituted;
- (vi) for S. No. 174 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

“174	8714	Parts and accessories of vehicles of heading 8711”;
------	------	---

- (vii) S. No. 215 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 18/2018- Union territory Tax (Rate) dated 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 700 (E), dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 25/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 1268(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 711 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हों (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

- (ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

- (iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो”।
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि. 701(अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 25/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 1268(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

“43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption”;

- (ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated”;
-------	---------------	--

(iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“153	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause”.
------	-------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 19/2018-Union Territory Tax (Rate) dated 26th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 701 (E), dated the 26th July, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 26/2018-संघ राज्य (दर)

सा.का.नि. 1269(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7108 के अंतर्गत आने वाले स्वर्ण की अंतःराज्यीय आपूर्ति को, जब इनकी आपूर्ति हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, के अध्याय 4 के संगत प्रावधानों के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.41 में यथा संदर्भित “किसी नामित एजेंसी द्वारा आपूर्ति के एवज में निर्यात” की योजना के अंतर्गत किसी नामित एजेंसी द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति (यहां जिसे “प्राप्तकर्ता” से संदर्भित किया गया है), को की गई हो, उस पर संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अंतर्गत लगाए जाने वाले संपूर्ण संघ राज्य कर से छूट प्रदान करती है, बशर्ते कि:—

- (i) ऐसी नामित एजेंसी और प्राप्तकर्ता हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स के साथ पठित विदेश व्यापार नीति में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे।
- (ii) प्राप्तकर्ता ऐसे स्वर्ण से तैयार किए गए आभूषणों का उस तारीख से 90 (नब्बे) दिन की अवधि के भीतर निर्यात कर देंगे जिस तारीख को उस प्राप्तकर्ता को स्वर्ण की आपूर्ति की गई थी और वह उस तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिन की अवधि के भीतर उसी नामित एजेंसी को शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स, जिसमें माल एवं सेवाकर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा दिया गया हो और ‘इनवॉयस फॉर एक्सपोर्ट्स’ की प्रति उपलब्ध कराएगा जिस तारीख को उक्त नामित एजेंसी द्वारा यह आपूर्ति की गई थी।
- (iii) जहां कि शर्त (ii) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं वहां नामित एजेंसी, यदि यह छूट उपलब्ध न हो तो, निर्यात न किए गए सोने की मात्रा पर लागू होने वाले संघ राज्य कर और साथ में ही ऐसे प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति पर जिस दिन कर का भुगतान होना चाहिए था उस दिन से लेकर अब तक ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

“स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:

(क) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 41/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. 3813 (अ), दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के तहत अधिसूचित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है।

(ख) "हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स" से अभिप्राय भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2015-2020, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 फा. सं. 01/94/180/333/एएम 15/पीसी-4 में प्रकाशित, के तहत अधिसूचित हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स से है।

(ग) "नामित एजेंसी" से अभिप्राय अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत) प्रकाशित की सूची 32 में उल्लिखित निकाय से है;

(घ) "शीर्षक" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 26/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 1269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of gold falling in heading 7108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when supplied by Nominated Agency under the scheme for "Export Against Supply by Nominated Agency" as referred to in paragraph 4.41 of the Foreign Trade Policy, read with relevant provisions of Chapter 4 of Handbook of Procedures, to registered person (herein referred to as "recipient"), from the whole of the Union territory tax leviable thereon, under section 7 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017, subject to following conditions, namely:-

- (i) the Nominated Agency and the recipient shall follow the conditions and observe the procedures as specified in the Foreign Trade Policy read with Handbook of Procedures;
- (ii) the recipient shall export the jewellery made out of such gold within a period of 90 (ninety) days from the date of supply of gold to such recipient and shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) alongwith the invoice for exports to the Nominated Agency within a period of 120 (one hundred and twenty) days from the date of supply by the Nominated Agency;
- (iii) wherever such proof of export is not produced within the period mentioned in condition (ii), the Nominated Agency shall pay the amount of Union territory tax payable on the quantity of gold not exported, along with interest from the date when the said tax on such supply was payable, but for the exemption.

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(a) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No.41/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

(b) "Handbook of Procedures" means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 5th December 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC-4, dated the 5th December 2017;

(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in List 32 of Notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June 2017 published Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017;

(d) "Heading" means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 86/2018-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1270(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 296/76-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अगस्त, 1976, जिसे सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 02 अगस्त, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द, अंक और कोष्ठक, "सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52)", के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक, "और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12)," को अंतःस्थापित किया जाएगा,
- (ii) जहां-जहां भी "अतिरिक्त शुल्क" शब्द आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर "एकीकृत कर तथा माल एवं सेवा प्रतिपूर्ति उपकर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/432/2018-टीआरयू(भाग- I)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना 296/76-सीमा शुल्क, दिनांक 02 अगस्त, 1976 को सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 02 अगस्त, 1976 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 101/1995-सीमा शुल्क, दिनांक 26 मई, 1995, सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 86/2018-Customs

G.S.R. 1270(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 296/76-Customs, dated the 2nd August, 1976, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 665 (E), dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, -

- (i) in the opening paragraph, after the words, figures and brackets, “the Customs Act, 1962 (52 of 1962)”, the words, brackets and figures, “and sub-section (12) of section 3 of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),” shall be inserted;
 - (ii) for the words, “additional duty” wherever they occur, the words “integrated tax and goods and services compensation cess”, shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2019.

[F. No. 354/432/2018-TRU (Pt-I)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No. 296/76- Customs, dated the 2nd August, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 665 (E), dated the 2nd August, 1976 and was last amended by notification No. 101/1995-Customs, dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 428(E), dated the 26th May, 1995.